

सम्पादकीय

मतदाता सूची की शुद्धता बनाम मतदान का

अधिकार:लोकतंत्र में पारदर्शिता ही विश्वास की कसौटी

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव कराने से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि चुनाव प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय है। मतदाता सूची इसी व्यवस्था की बुनियादी कड़ी है। इसमें किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज रहना जितनी गंभीर समस्या है, उतनी ही गंभीर स्थिति किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से हट जाना भी है। इसलिए मतदाता सूची के संशोधन को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया या राजनीतिक विवाद के रूप में नहीं, बल्कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े संवेदनशील विषय के रूप में देखा जाना चाहिए। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध–प्रदर्शनों ने मतदाता सूची के संशोधन और निर्वाचन

व्यवस्था की पारदर्शिता पर बहस को फिर तेज किया है। प्रदर्शनकारियों की आशंका है कि संशोधन के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटने से पात्र मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर, मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के समर्थकों का तर्क है कि मृत व्यक्तियों, दोहरी प्रविष्टियों और अपात्र नामों को हटाना निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। इन दोनों पक्षों के बीच मूल प्रश्न यही है कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करते समय किसी पात्र नागरिक का मतदान अधिकार प्रभावित न हो। इस प्रश्न का उत्तर आरोप–प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि तथ्यों, पारदर्शी प्रक्रिया और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था से मिल सकता है। मतदाता सूची में संशोधन क्यों जरूरी है?मतदाता सूची समय के साथ बदलती सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के अनुरूप अद्यतन की जाती है। लोगों के निवास स्थान बदलते हैं, नए नागरिक मतदान की पात्रता प्राप्त करते हैं और कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो जाती है। कभी–कभी एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हो सकता है। इन परिस्थितियों में सूची का नियमित सत्यापन आवश्यक है। लेकिन सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में सावधानी, निष्पक्षता और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। किसी नाम को हटाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और संबंधित व्यक्ति को लागू नियमों के अनुसार सूचना, आपत्ति या सुधार का अवसर मिलना चाहिए। दस्तावेजों की कमी, पते में बदलाव, नाम की वर्तनी या तकनीकी त्रुटि के कारण किसी पात्र मतदाता को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासनिक सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण नागरिक का वैधानिक अधिकार है। इसलिए संशोधन की सफलता केवल हटाए गए गलत नामों की संख्या से नहीं, बल्कि पात्र मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा से भी मापी जाती चाहिए। मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के दावों ने इस बहस को और गंभीर बनाया है। हालांकि, केवल किसी बड़ी संख्या का उल्लेख अपने आप में यह साबित नहीं करता कि पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। इसके लिए आधिकारिक आंकड़ों और उनके आधार की जांच आवश्यक है। निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट करना चाहिए कि कितने नाम हटाए गए, किन कारणों से हटाए गए और कितने मामले मृत्यु, स्थान परिवर्तन, दोहरी प्रविष्टि या अन्य आधारों से संबंधित थे। प्रारंभिक सूची और अंतिम मतदाता सूची के आंकड़ों में अंतर हो तो उसका कारण भी समझने योग्य भाषा में बताया जाना चाहिए। साथ ही, कितने लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराईं, कितने मामलों की समीक्षा हुई और कितने नाम दोबारा जोड़े गए, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। पारदर्शिता का अर्थ केवल आंकड़े जारी करना नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह प्रस्तुत करना है कि आम नागरिक और स्वतंत्र पर्यवेक्षक उनकी वास्तविक स्थिति समझ सकें। जब जानकारी स्पष्ट और सत्यापन योग्य होती है, तब निराधार आशंकाओं की पहचान करना और वास्तविक त्रुटियों को दूर करना दोनों आसान हो जाते हैं। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और जवाबदेही भारत निर्वाचन आयोग की संवैधानिक भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने से जुड़ी है। इस संस्था पर जनता का भरोसा लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आयोग से जुड़े किसी विवाद का समाधान भी संस्थागत मर्यादा, प्रमाण और निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर होना चाहिए।



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं है। यह करोड़ों परिवारों की आजीविका, ग्रामीण बाजारों की क्रयशक्ति, खाद्य पदार्थों की कीमतों और देश की सामाजिक–आर्थिक स्थिरता से जुड़ी है। ऐसे में जब मानसून कमजोर पड़ता है, तो उसका प्रभाव खेतों से निकलकर किसान की आय, कृषि निवेश, ग्रामीण रोजगार और आम उपभोक्ता की रसोई तक पहुंचता है। वर्ष 2026 का कमजोर मानसून इसी व्यापक चुनौती की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जून से सितंबर 2026 वर्षा दर्ज की गई, जबकि सामान्य वर्षा 868.6 मिलीमीटर थी। इस प्रकार मानसूनी वर्षा सामान्य से लगभग 12.6 प्रतिशत कम रही। यह कमी अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव समझने के

लिए वर्षा के क्षेत्रीय वितरण, जलाशयों की स्थिति, फसलों की जरूरत और किसानों की आर्थिक क्षमता का आकलन भी जरूरी है। मानसून की कमी और कृषि अर्थव्यवस्था का संबंध भारतीय कृषि का एक बड़ा हिस्सा अब भी वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा वाले क्षेत्रों में किसान उपलब्ध जल संसाधनों के सहारे उत्पादन बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वर्षा आधारित खेती वाले क्षेत्रों में बारिश की कमी सीधे बुवाई, फसल की वृद्धि और उत्पादन की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। कहीं बुवाई का देरी होती है, तो कहीं खेतों में नमी कम होने से फसलों की बढ़ावर प्रभावित होती है। इसका असर फसल की गुणवत्ता और किसान को मिलने वाले बाजार मूल्य पर भी पड़ सकता है। हालांकि, पूरे देश में एक जैसी स्थिति मान लेना उचित नहीं होगा। वर्षा का वितरण, मिट्टी की प्रकृति, फसल का प्रकार, सिंचाई की उपलब्धता और स्थानीय कृषि पद्धतियां अलग–अलग

फर्जी शिक्षण संस्थानों पर

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला होती है। विद्यार्थी वर्षों तक मेहनत करते हैं, अभिभावक अपनी बचत और आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं तथा युवा बेहतर भविष्य की उम्मीद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में यदि कोई संस्थान मान्यता के बिना डिग्री बांटने लगे या भ्रामक दावों के जरिए विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए आकर्षित करे, तो यह केवल शिक्षा व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य, परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और समाज के विश्वास से जुड़ा गंभीर विषय है। 12 अक्टूबर 2026 को सामने आई खबर के अनुसार, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में कथित फर्जी मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और संबंधित नियामक संस्थाओं

को फर्जी शिक्षण संस्थानों से बचाव के लिए सार्वजनिक परामर्श जारी करने का निर्देश दिया। यह घटनाक्रम इस बात में कबल दिलाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, उनका प्रभावी क्रियान्वयन और विद्यार्थियों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है। फर्जी संस्थानों की समस्या और विद्यार्थियों की खिंता उच्च शिक्षा में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के सामने आज अनेक विकल्प हैं। पारंपरिक विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, निजी संस्थान और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। विकल्पों का विस्तार अवसर बढ़ाता है, लेकिन इसी के साथ कुछ संस्थानों द्वारा मान्यता, पाठ्यक्रम और रोजगार संबंधी संभावनाओं के बारे में भ्रामक दावे किए जाने का जोखिम भी रहता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार

संपादकीय

हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर वर्षा की कमी का आंकड़ा महत्वपूर्ण संकेत जरूर है, लेकिन किसानों को हुए वास्तविक नुकसान का निर्धारण क्षेत्रवार आकलन के आधार पर ही किया जाना चाहिए। कमजोर मानसून का असर कृषि निवेश पर भी दिखाई दे सकता है। जब किसान को फसल से होने वाली आय को लेकर अनिश्चितता रहती है, तो वह बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि मशीनरी पर खर्च करने में सावधानी बरतता है। इससे कृषि से जुड़े अन्य व्यवसायों की मांग प्रभावित हो सकती है। इस वर्ष सितंबर में ट्रैक्टरों की खुदरा बिक्री अगस्त के मुकाबले 12.6 प्रतिशत घटकर 76,906 इकाई रही, जबकि अगस्त में यह संख्या 87,977 थी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट में कमजोर मानसून को इस गिरावट के प्रमुख कारकों में शामिल किया गया। हालांकि, केवल ट्रैक्टर बिक्री में गिरावट को किसानों की आय का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। त्योहारों के समय में बदलाव, खरीद के फैंसलों में देरी और बाजार की कमी सीधे बुवाई, फसल की वृद्धि और उत्पादन की संभावनाओं को प्रभावित करती हैं। फिर भी यह आंकड़ा कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। किसान की आय को सुश्का देने की जरूरत होती है। इसका असर फसल की गुणवत्ता और किसान को मिलने वाले बडाने तक सीमित नहीं रह सकता। किसान की आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि फसल खराब होने की स्थिति में उसे राहत मिले और अच्छी पैदावार होने पर उचित मूल्य भी प्राप्त हो। इसके लिए फसल बीमा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और

किसान–अनुकूल बनाना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी व्यवस्थाओं में बीमा दावों का समय पर निपटान, नुकसान के आकलन की विश्वसनीयता और किसानों तक जानकारी की आसान पहुंच महत्वपूर्ण है। बीमा का लाभ तभी सार्थक होगा, जब प्रभावित किसान को उचित समय पर मुआवजा मिले। इसके लिए तकनीक आधारित आकलन के साथ स्थानीय परिस्थितियों की जांच और शिकायतों के निष्पक्ष समाधान की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण भी विशेष महत्व रखता है। कमजोर फसल के बाद पुराने कर्ज की अदायगी और अगली बुवाई के लिए पूंजी जुटाना कठिन हो सकता है। ऐसे समय में पात्र किसानों को संस्थागत ऋण, ब्याज सहायता और जरूरत के अनुसार पुनर्भुगतान की व्यावहारिक सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही, ऋण राहत और सहायता का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए स्पष्ट मानदंड और जवाबदेही भी जरूरी है। जल संरक्षण ही दीर्घकालीन समाधान कमजोर मानसून से मिलने वाला सबसे बड़ा संकेक यह है कि वर्षा जल का संरक्षण अब वैकल्पिक उपाय नहीं, बल्कि कृषि नीति की अनिवार्य प्राथमिकता होना चाहिए। खेत–तालाब, छोटे जलाशय, चेक डैम, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल संचयनाओं का पुनर्जीवन और भूजल पुनर्भरण जैसी पहलों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ाना होगा। सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप और स्प्रिकलर जैसी तकनीकें पानी का अधिक कुशल उपयोग करने में मदद कर सकती

हैं। लेकिन केवल उपकरण उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, रखरखाव की सुविधा और आवश्यक वित्तीय सहायता भी मिलनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में भूजल पहले से दबाव में है, वहां जल उपयोग की योजना वैज्ञानिक आकलन के आधार पर बनाना जरूरी है। फसल विविधीकरण पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करना उपयोगी हो सकता है, जो स्थानीय जलवायु और उपलब्ध जल संसाधनों के अनुकूल हों। इसके लिए किसानों को बाजार की मांग, बीज की उपलब्धता, तकनीकी सलाह और उचित खरीद व्यवस्था का भरोसा देना होगा। बिना वैकल्पिक बाजार उपलब्ध कराए किसानों से फसल बदलने की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा और महंगाई की चुनौती कृषि उत्पादन में कमी की आशंका खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव बढ़ा सकती है। इसका असर विशेष रूप से उन परिवारों पर पड़ता है, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है। 12 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई की दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत रही और खाद्य महंगाई 7.74 प्रतिशत दर्ज की गई। रिपोर्ट में कमजोर मानसून और खाद्य कीमतों को महंगाई के लिए दोहरी जिम्मेदारी है। एक ओर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खाद्य पदार्थ सुलभ बने रहने चाहिए। इसके लिए फसल उत्पादन के विश्वसनीय पूर्वानुमान, पर्याप्त भंडारण, समय पर

बाजार हस्तक्षेप, परिवहन व्यवस्था और जमाखोरी पर प्रभावी निगरानी आवश्यक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य भंडारों का प्रबंधन भी इस संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ग्रामीण रोजगार और बाजार तक पहुंच किसान की आय केवल खेत में पैदा हुई फसल पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य भंडारण और स्थानीय लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित किए जा सकते हैं। इससे फसल खराब होने या कृषि कार्य में कमी आने की स्थिति में परिवारों को कुछ आर्थिक सहारा मिल सकता है। साथ ही, ग्रामीण सड़कों शीत भंडारण, कृषि मंडियों और डिजिटल बाजारों को मजबूत करना आवश्यक है। किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य तभी मिल सकता है, जब उसे बाजार की जानकारी हो, खरीदारों तक पहुंच हो और परिवहन तथा भंडारण की लागत अनावश्यक रूप से अधिक न हो। किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करके छोटे किसानों की सामूहिक सौदेबाजी क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है। संपादकीय दृष्टिकोण राहत से आगे बढ़कर तैयारी, कमजोर मानसून की चुनौती का उत्तर केवल आपदा के बाद मुआवजा देने में नहीं, बल्कि जोखिम कम करने वाली स्थायी व्यवस्था बनाने में निहित है। केंद्र और राज्य सरकारों, कृषि वैज्ञानिकों, बैंकों, स्थानीय निकायों तथा किसान संगठनों के बीच समन्वय आवश्यक है। वर्षा, मिट्टी की नमी, जलाशयों और फसल की स्थिति से जुड़े आंकड़ों के आधार पर जिला स्तर पर समय रहते कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।

लगाम:युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कब रुकेगा?

बताया था कि यूजीसी की फरवरी 2026 में प्रकाशित सूची में देश के 32 संस्थाओं को फर्जी विश्वविद्यालयों के रूप में चिह्नित किया गया था। यह



आंकड़ा समस्या की गंभीरता को रेखांकित करता है। हालांकि, किसी विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किए जाने और किसी वैध संस्थान द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने के बीच अंतर समझना भी जरूरी है। प्रत्येक मामले का निर्धारण संबंधित कानूनों, नियामकीय प्रावधानों और आधिकारिक जांच के आधार पर होना चाहिए। फर्जी संस्थानों का सबसे बड़ा नुकसान

विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है। वे फीस, यात्रा, आवास और अभ्ययन सामग्री पर हजारों या लाखों रुपये खर्च कर सकते हैं। बाद में यदि पता चले कि संस्थान को डिग्री देने का अधिकार नहीं था या संबंधित पाठ्यक्रम को आवश्यक मान्यता प्राप्त नहीं थी, तो विद्यार्थी की मेहनत और समय दोनों प्रभावित होते हैं। ऐसी डिग्री के आधार पर नौकरी, उच्च शिक्षा या व्यावसायिक पंजीकरण प्राप्त करने में भी कठिनाई हो सकती है। इसका आर्थिक बोझ उन परिवारों पर अधिक पड़ता है, जो सीमित आय के जाने और किसी वैध संस्थान द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने के बीच अंतर समझना भी जरूरी है। प्रत्येक मामले का निर्धारण संबंधित कानूनों, नियामकीय प्रावधानों और आधिकारिक जांच के आधार पर होना चाहिए। फर्जी संस्थानों का सबसे बड़ा नुकसान

वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों और फर्जी विश्वविद्यालयों से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। लेकिन केवल संस्थान का नाम सूची में खोज लेना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना चाहिए कि संबंधित संस्था को किस प्रकार का पाठ्यक्रम संचालित करने का अधिकार है, डिग्री प्रदान करने की क्षमता क्या है और जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा रहा है, उसके लिए किसी अन्य नियामक निकाय की स्वीकृति आवश्यक है या नहीं। चिकित्सा, कानून, शिक्षक शिक्षा और अन्य विनियमित व्यावसायिक क्षेत्रों में संबंधित नियामक संस्थाओं के नियमों की जांच विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बावजूद बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण लेते हैं या अपनी बचत खर्च करते हैं। मान्यता की जांच प्रवेश से पहले जरूरी विद्यार्थियों और अभिभावकों को किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी वैज्ञानिक स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए। यूजीसी की आधिकारिक

पहले संस्थान के आधिकारिक दस्तावेज, फीस संरचना, परीक्षा व्यवस्था, डिग्री देने वाले विश्वविद्यालय का नाम और शिकायत निवारण प्रक्रिया की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त करनी चाहिए केवल विज्ञापन, सोशल मीडिया संदेश या एजेंट के मौखिक आश्वासन पर भरोसा करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। भ्रामक विज्ञापनों पर प्रभावी कार्रवाई हो शिक्षक के क्षेत्र में विज्ञापन विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों और अवसरों की जानकारी देने का माध्यम हैं। लेकिन जब किसी संस्थान द्वारा मान्यता, नौकरी की गारंटी, विदेशी विश्वविद्यालय से संबद्धता या डिग्री की वैधता को लेकर अप्रामाणित दावे किए जाते हैं, तो विद्यार्थियों को भ्रमित होने से बचना जरूरी है। यूजीसी ने ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के नाम पर कुछ एडटेक कंपनियों द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार और अनधिकृत प्रेचाडिली ब्यूरो की जानकारी भी इस संबंध में उपयोगी है। विद्यार्थियों को प्रवेश से

ग्रामीण रोजगार की कसौटी:योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे

भारतार्थ खबर

Bhaarataarth.com

ग्रामीण भारत की वास्तविक समृद्धि का आकलन केवल सड़कों, भवनों और विकास परियोजनाओं की संख्या से नहीं किया जा सकता। इसका सबसे महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि गांवों में रहने वाले परिवारों को कितना नियमित रोजगार मिल रहा है, उनकी आय कितनी सुरक्षित है और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक कितनी पारदर्शिता से पहुंच रहा है। ग्रामीण रोजगार केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि गरीबी कम करने, सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने और गांवों से मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी व्यवस्था इसी उद्देश्य से विकसित की गई थी कि जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर मजदूरी आधारित काम मिल सके। लेकिन बदलती आर्थिक परिस्थितियों, कृषि क्षेत्र की अनिश्चितताओं और रोजगार योजनाओं में हो रहे बदलावों के बीच यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या सरकारी व्यवस्थाएं ग्रामीण श्रमिकों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप काम कर रही हैं? रोजगार के आंकड़े क्या संकेत देते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार गारंटी व्यवस्था ने लंबे समय तक ग्रामीण परिवारों को भूमिका उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक जुलाई 2026 से इसके स्थान पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), अर्थात् VB-G RAM G, की नई व्यवस्था लागू हुई। इसके अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी का प्रावधान किया गया है। हालांकि, रोजगार के दिनों की कानूनी गारंटी और वास्तव में उपलब्ध कराए गए काम के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। 12 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार, जुलाई–अगस्त 2026 में रोजगार सृजन पिछले वर्ष की सामान अवधि के 29.77 करोड़ व्यक्ति–दिवस से घटकर 20.21 करोड़ व्यक्ति–दिवस रह गया। यह लगभग 9.56 करोड़ व्यक्ति–दिवस की कमी है। इन में वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष जरूरत है, लेकिन इनके आधार पर ही पूरी व्यवस्था की सफलता या विफलता का अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। नई व्यवस्था की शुरुआती महीनों में कृषि कार्यों के हैं? रोजगार के आंकड़े क्या संकेत देते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

का प्रभाव भी आंकड़ों पर पड़ सकता है। इसलिए रोजगार की मांग, काम की उपलब्धता, काम पाने वाले परिवारों की संख्या और क्षेत्रवार परिस्थितियों का समग्र विश्लेषण आवश्यक है। सरकार की ओर से नई व्यवस्था के



तहत रोजगार उपलब्ध कराने और इसके क्रियान्वयन को लेकर सकारात्मक दावे भी किए गए हैं। ऐसे में वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन सरकारी आंकड़ों, श्रमिकों के अनुभवों और स्वतंत्र निगरानी के आधार पर होना चाहिए। समय पर मजदूरी भुगतान सबसे जरूरी ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार तभी सार्थक है, जब काम के बदले मजदूरी समय पर मिले। गरीब परिवारों के पास

आमतौर पर लंबे समय तक बिना आय के गुजारा करने की क्षमता सीमित होती है। मजदूरी में देरी होने पर उन्हें भोजन, बच्चों की शिक्षा, दवाइयों और दैनिक जरूरतों के लिए उधार लेना पड़ सकता है। डिजिटल

चाहिए। जहां नियमों के तहत विलंब मुआवजे का प्रावधान लागू होता है, वहां पात्र श्रमिकों को उसका लाभ मिलना चाहिए। किसी श्रमिक को केवल तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी के कारण अपनी मेहनत की कमाई के लिए बार–बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। ग्रामीण रोजगार से टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण रोजगार योजनाओं की सफलता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलु यह है कि उनसे गांवों को दीर्घकालीन लाभ भी मिले। जल संरक्षण, तालाबों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन, खेतों तक पहुंच मार्ग, भूमि सुधार और स्थानीय जल प्रबंध जैसे कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। यदि रोजगार के तहत किए गए कार्यों से सिंचाई की सुविधा बढ़ती है, भूजल संरक्षण होता है और खेती की उत्पादकता में सुधार आता है, तो इसका लाभ केवल मजदूरी पाने वाले परिवार तक सीमित नहीं रहता। इससे पूरे गांव की आर्थिक क्षमता मजबूत हो सकती है। इसके लिए परियोजनाओं का चयन स्थानीय जरूरतों के आधार पर होना चाहिए। ग्राम सभाओं की भागीदारी, तकनीकी गुरसों की जांच और निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव की व्यवस्था भी जरूरी है। केवल खर्च की गई

राशि या बनाए गए कार्यों की संख्या के बजाय उनके वास्तविक उपयोग और दीर्घकालीन प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक जवाबदेही अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों को रोजगार की मांग दर्ज करने, कार्यों की जानकारी देने और पात्र श्रमिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए नई बाधा, जिनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट या तकनीकी दिय्यांग व्यक्तियों और दूरदराज के गांवों में रहने वाले श्रमिकों के लिए सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है। नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों का बंटवारा भी महत्वपूर्ण है। पर्याप्त धनराशि, समय पर आवंटन और राज्यों की कार्यान्वयन क्षमता के बीच संतुलन रहना चाहिए, ताकि

वित्तीय या प्रशासनिक अड़चनें जरूरतमंद परिवारों के रोजगार अवसरों को प्रभावित न करें। रोजगार के साथ आजीविका के नए अवसर मजदूरी आधारित रोजगार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कृषि प्रसंस्करण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर स्थायी आय के अवसर उपलब्ध किए जा सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण को स्थानीय बाजार की जरूरतों से जोड़ना होगा। युवाओं को ऐसे प्रशिक्षण मिलें, जिनसे वे गांवों में ही रोजगार या स्वरोजगार शुरू कर सकें। महिला स्वयं सहायता समूहों को सस्ती वित्तीय सहायता, विपणन सुविधाएं और उत्पादों के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराना भी ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। संपादकीय

दृष्टिकोण आंकड़ों से आगे, जमीन पर परिणाम ग्रामीण रोजगार योजनाओं

में उपयोगी साबित हों। इसके लिए नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग, स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण और शिकायतों के समयबद्ध समाधान को प्राथमिकता देनी होगी। रोजगार की मांग और उपलब्धता के आंकड़े पंचायत तथा जिला स्तर पर स्पष्ट रूप से सामने आने चाहिए, ताकि जहां कमी दिखाई दे वहां समय रहते सुधार किया जा सके। निष्कर्ष ग्रामीण श्रमिक का अधिकार ही विकास की असली कसौटी ग्रामीण भारत की आर्थिक मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि विकास का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचता है। रोजगार गारंटी की कानूनी व्यवस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका वास्तविक मूल्यांकन श्रमिकों को मिले काम, समय पर भुगतान और बेहतर आजीविका के आधार पर होना चाहिए। सरकारी योजनाओं की सफलता घोषणाओं और बजट के आंकड़ों से नहीं, बल्कि उस ग्रामीण परिवार की जिंदगी में आए बदलाव से तय होगी, जिसे समय पर काम, पूरी मजदूरी और सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलता है। जब रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही मिले, मजदूरी का भुगतान निर्धारित अवधि में हो और सार्वजनिक धन से निर्मित परिसंपत्तियां गांवों के विकास

Printed Published & Owner by Dhanna Ram Choudhary And Printed at MNS Printers Pvt. Ltd., No.345/4, Bhattarahalli, Old Madras Road, Bengaluru Karnataka-560049. And Published at "Maruthi"Plaza"" , No. 10/1, 1st Cross Road, 3rd Floor , Oil Mill Road, Arvind Nagar , Maruthi Seva Nagar Post, Kammanahalli, Bengaluru Urban, Karnataka -560033, Editor Dhanna Ram Choudhary , For Editorial 91641 17755, 93412 59043 Advertisement 88676 89130 , PRGI NO.: KNHIN/26/A5540 E-Mail: news@bhaaratarth.com, Website: bhaaratarth.com, Established: 2026